संबंधित जानकारी ली. साथ ही मंदिर निर्माण में लगने वाले सभी ओड़ी (गड्ढे) की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने की पहल की.

की गयी. इस क्रम में बिक्री केंद्र पर शराब का सेवन करते पाये जाने पर

बचें व किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना प्रशासन को दें.

जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

कुलुपटांगा में नल जल योजना के लिये सौंपा ज्ञापन

आदित्यपुर. कुलुपटांगा में हर घर नल जल योजना में अनियमितता के विरोध में एसयूसीआइसी की लोकल कमेटी जिंदल कार्यालय में प्रदर्शन किया व ज्ञापन सौंपा. कार्यालय के वरीय पदाधिकारी पीयूष सिन्हा से दूरभाष पर बात हुई. उन्होंने सभी मांगों को ध्यान में रखने का आश्वासन दिया. उनके निर्देश पर उपस्थित पदाधिकारी संजीव को ज्ञापन सौंपा गया. कंपनी के प्लंबर, इंजीनियर व पदाधिकारियों की टीम ने क्षेत्र का स्थल निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान लीकेज हो रहे पाइप लाइन को यथासंभव रोका गया व पाइप को ठीक किया गया. इस मौके पर विष्णुदेव गिरि, सुषमा, सरस्वती, अनुज लायक, महावीर मुंडारी, जितेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे.

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
इक परिवार एक बैंक

वसूली विभाग, अंचल कार्यालय (राँची)
प्रथम तल्ला, निदान भवन, करमटोली रोड, मोराबादी, राँची – 834008
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजी नगर, पुणे – 411 005
e-mail: recovery_rnc@bankofmaharashtra.bank.in

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना (परिशिष्ट - IV ए)

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित।

इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी(यों) और जमानतदार(वों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति/संपत्तियां, जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राँची अंचल, सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, को तालिका में उल्लिखित अनुसार ऋणी(यों) और जमानतदार(वों) से बैंक ऑफ महाराष्ट्र को देय राशि की वसूली के लिए दिनांक **18.11.2026** को "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता/ऋणकर्ताओं और जमानतदारों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और उस पर ज्ञात भार, कब्जे का प्रकार, आरक्षित मूल्य और बयाना राशि भी नीचे दी गई है-

क्र. सं.	उधारकर्ता(ओं) जमानतदार(ओं) का नाम	बकाया राशि 01.08.2026 तक	ज्ञात भार सहित अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण	क) कब्जे का प्रकार, ख) आरक्षित मूल्य, ग) बयाना राशि जमा
01	**मेसर्स आदित्य एंटरप्राइजेज** **प्रोप्राइटर : श्रीमती प्रियंका झा** C/o: संजीव मिश्रा, बैंक कॉलोनी, मांझी टोला, आदित्यपुर, जिला – सरायकेला-खरसावाँ, पिन - 831013 **शाखा : आदित्यपुर**	₹ 17,55,505/- (रुपये सत्रह लाख पचपन हजार पांच सौ पांच मात्र), साथ ही अप्रयुक्त ब्याज एवं लागू दर के अनुसार भविष्य का ब्याज।	प्लॉट संख्या NS-17, का समतुल्य बंधक, जो आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र, 3rd फेज, मौजा – असांगी, थाना संख्या – 126, सर्वे प्लॉट संख्या – 561(P), खाता संख्या – 189, कुल भूमि क्षेत्रफल 2000 वर्ग फुट पर स्थित है। **चौहद्दी :** उत्तर : प्लॉट संख्या NS-15, पूर्व : प्लॉट संख्या NS-18, पश्चिम : 25'-0" चौड़ी सड़क, दक्षिण : जियाडा (JIADA) की सीमा।	क) सांकेतिक कब्जा ख) ₹ 31,95,000/- ग) ₹ 3,19,500/- **बोली वृद्धि – 15,000/-** संपर्क करें : संदीप कुमार शाखा प्रमुख : 9308858886

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट और पोर्टल (https://baanknet.com) पर दिए गए लिंक "https://www.bankofmaharashtra.in/AssetsforSale" को देखें।

दिनांक : 15.10.2026
स्थान : राँची

विवाद/ त्रुटि की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा।

अभय कुमार दुबे
उप क्षेत्रीय प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी

भैया ने योगदान किया.

फुटबॉल मैदान में पंडाल और मेला का हुआ उद्घाटन

आदित्यपुर. फुटबॉल मैदान में